भारत का संवैधानिक विकास
Constitutional development of India.

पिट्स इण्डिया एक्ट 1784 (pitts India Act 1784)

↳ Act of Settlement - 1781 की असफलता के बाद pitts India Act 1784 आया।

(i) इस अधिनियम / act - कम्पनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र Occupied Indian Territory by Company - अब ब्रिटिश ताज British Crown के नियंत्रण मे आये → इस क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत / British India.

(ii) इस अधिनियम द्वारा - व्यापारिक / Business एवं राजनीतिक political कार्य अलग किये

व्यापारिक / Business ↓ नियंत्रण / Contoral Board of directors (निदेशक मण्डल)

राजनीतिक / political ↓ नियंत्रण / Contoral Board of Contoral नियंत्रण मण्डल कुल सदस्य - 6 Total Member -

(3) Board of Contoral (नियंत्रक मण्डल) - 6 सदस्य

① chancellor of Exchequer (चांसलर ऑफ एक्सचेक) - ①
② राज्य सचिव / State Secretary - ①
③ प्रिवी काउंसिल के सदस्य (Member of Privy Council) - ④

④ गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 कर दिया गया
⑤ प्रान्तीय परिषद (Provincial Council) के सदस्य भी 4 से 3 कर दिये

⑥ गवर्नर जनरल को अधिकार दिया यदि प्रांतीय सरकार Provincial government केन्द्रीय शासन Central Rule न मानने पर उन्हें बर्खास्त / Suspend किया सकता था

⑦ कम्पनी के डायरेक्टर्स / directors of Company की बिना स्वीकृति / Permission के भारतीय राजाओं से गवर्नर जनरल न तो युद्ध / war एवं न ही संधि / Treaty करेगा

1793 का राजलेख / charter act 1793 -

(1) इस अधिनियम द्वारा कम्पनी के अधिकारों [Rights of Company) को 20 वर्ष के बढ़ाया Extended कर दिया।

(2) इस अधिनियम द्वारा (Board of Control) नियंत्रक मण्डल के सदस्यों को वेतन / Salary भारतीय राजस्व Indian Revenue] से दी जायेगी।

1813 का राजलेख (charter Act of 1813) -

① कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार [trade Monopoly) को समाप्त कर दिया

Note - कम्पनी चीन साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार करती रहेगी।

② अंग्रेज (Britisher) भारत मे व्यापार कर सकते है।

③ ब्रिटिश सरकार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख / वर्ष रुपये खर्च करेगी।
British Government will spend 1 Lakh / Year to the Education of Indians.

④ ईसाई धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता मिली।

rojgar with ankit

1833 का राजलेख / chartor act of 1833 -

* कम्पनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार All trade Monopaly समाप्त कर दिया
* बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया
  - Last - विलियम बैंटिंक
  - प्रथम - विलियम बैंटिक
* कम्पनी के अधिकारो को पुन: (again) 20 वर्षो के लिये बढाया गया
* गवर्नर जनरल की परिषद Council of Governor General मे चौथे सदस्य / 4th number के रुप मे विधि सदस्य Law number जोडा गया।
* प्रथम विधि आयोग / I st Law Commission 1834
  - 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य
  - प्रथम अध्यक्ष - मैकाले
* 1843 दास प्रथा पर रोक लगा दी।